Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

पत्रांक– 1142 /33–1 / दिनांक, झांसी, नवम्बर, 10, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– जनपद झांसी में झांसी–भगवन्तपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–39 के कि0मी0 संख्या–01 से 04 तक वांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा पेयजल पुनर्गठन योजना फेस–1 के अन्तर्गत पाईप लाईन विछाये जाने में प्रभावित 0.40 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ– 1. आपका पत्रांक– 784/11–सी–FP/UP/Water/47013/2020, दिनांक 12.10.2020।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी का पत्रांक–1387/15–1, दि–06.11.20।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 12.10.2020 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी नें अपने संदर्भित पत्र–1387/15–1, दि–06.11.2020 द्वारा संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में सी0डी0 सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

उक्त संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में सी0डी0 सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–
1. प्रस्ताव तीन प्रतियों में।
2. KML फाईल सी0डी0–3
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी का पत्रांक–1387/15–1, दिनांक 06.11.2020 की छायाप्रति।

भवदीय

(जी0पी0सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृ0सं0– 1142/ समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक महोदय, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0 झांसी को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री आशीष कुमार रावत, सहायक परियोजना अभियन्ता, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झांसी को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय से प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव व पत्र प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराने एवं प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(जी0पी0सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक ~~1386~~ 1387/15–1 दिनांक, झांसी, नवम्बर, 6 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ0प्र0 झांसी।

विषयः– जनपद झांसी में झांसी–भगवंतपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 के कि0मी0 संख्या–01 से 04 तक बांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना फेज–1 के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाईन बिछाये जाने से प्रभावित 0.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–838/11–सी–FP/UP/Water/47013/2020, दिनांक 12.10.2020 एवं सहायक परियोजना अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, झांसी के कार्यालय पत्रांक–831/W-1/277 दिनांक 04.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Water/47013/2020 में एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र से परिक्षणोपरान्त लगाई गयी आपत्तियों का सहायक परियोजना अभियन्ता अतिरिक्त निर्माण इकाई उ0प्र0 जल निगम, झांसी द्वारा प्रस्तुत संलग्न प्रमाण पत्र सहित बिन्दुवार निराकरण कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया, जिसे संलग्न सहित निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार आख्या कमियों अभिलेखों सहित संस्तुति के साथ प्रेषित

Observe No	Observation (GOI)	Reply
1	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्र संख्या–343/11सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित पमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया।	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरयुक्त संलग्न है। संलग्न संख्या–01
2	प्रस्तावित में संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष में दुगने अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन क्षतिपूरक वृक्षारोपण सहित चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map Sol Topo sheet उपयुक्तातता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0 प्रस्ताव में संलग्न किया गया है, किन्तु वर्तमान में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक संख्या–एफ0सी0–11/165/2019, एफ0सी0, दिनांक 27.07. 2020 द्वारा पेय जल पाईप लाईन बिछाये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के आधीन विष्यगत प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण में छूट प्रदान की गयी है। अतः प्रस्ताव से विस्तृत प्राक्कलन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map Sol Topo sheet उपयुक्तातता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाईल का प्रथम कर ऑन लाईन भाग–2 से भी डिलीट करे।	प्रस्ताव में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक संख्या–FC/11/165/2019-FC, दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष में प्रस्ताव में संलग्न 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map Sol Topo sheet उपयुक्तातता प्रमाण पत्र व के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव से प्रथक कर ऑन लाइन भाग–2 से भी डिलिट कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव एन0पी0वी0 गणना संलग्न है, किन्तु भारत सरकार की एन0पी0बी0 की गाईड लाईन 05.02.2009 के अनुसार अनुसार 01 हे0 से कम वन भूमि प्रभावित होने एवं 4 इंच डायामीटर तक की पेय जल पाईप लाईन बिछाना प्रस्तावित है तो प्रकरण में एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव से प्रथक कर ऑन लाईन भाग–2 से भी डिलिट करें।	प्रस्ताव में एन0पी0 की गणना भारत सरकार के गाइड लाइन दिनांक 05.02.2009 के क्रम में 01 हे0 कम प्रभावित वन भूमि होने एवं सहयक परियोजना अभियन्ता अतिरिक्त निर्माण, इकाई उ0प्र0 जल निगम, झांसी का पत्र संख्या–830/W-1/276 दिनांक 03.11.2020 के आधार पर 18 इंच पाईप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है एवं 4 इंच डायामीटर तक की पेयजल पाईप लाइन बिछाये जाने की स्थिति में एन0पी0वी0 की छूट से प्रस्तावित न होने के कारण प्रकरण में एन0पी0वी0 गणना प्रस्ताव में यथावत संलग्न है। ऑन लाइन भाग–2 से भी डिलिट नहीं की गयी है। क्योंकि पेय जल पाईप लाइन 18 इंच डायामीटर की बिछाया जाना प्रस्तावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्न संख्या–02
4	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें जाने की बचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑन लाइन पार्ट–2 में अपलोड करे।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेगी। वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न की गयी है। पृष्ठ संख्या–7

बन्दो0

कार्यवाही हेतु
10/11/2020

CF Letter's_Van

5	हार्ड कापी भार–2 के क्रमांक 10 (I-V) से क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण अंकित किया गया है। अतः उपरोक्त बिन्दु संख्या–02 के अनुसार संशोधित करते हुये संशोधित हार्ड कापी भाग–2 संलग्न करे तथा ऑन लाइन पार्ट–2 के Additional Information Detail एवं क्रमांक 15 से पुराना डिलिट कर संशोधित हार्ड कापी भाग–2 ऑन लाइन अपलोड करे।	प्रस्ताव में हार्ड कापी भाग–2 के क्रमांक 10 (I-V) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण अंकित किया गया। अतः उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 के अनुसार हार्ड कापी डिलिट कर दिया गया, जो लागू नहीं है।
6	ऑन लाइन पार्ट–2 के Additional Information Detail से उपरोक्तानुसार अनावश्यक प्रमाण पत्र डिलिट करे।	प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–2 के Additional Information Detail अनावश्यक प्रमाण पत्र डिलिट कर दिये गये।
7	प्रस्ताव के साथ संलग्न सीडी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाइल हटातें हुये केवल प्रस्तावित वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल ही अपलोड करे।	प्रस्ताव के साथ संलग्न सीडी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाइल डिलिट कर दी गयी है। केवल प्रस्तावित वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नक प्रस्ताव की तीन प्रतियों में इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति के साथ प्रेषित हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार संलग्नक एवं 4 सी0डी0 सहित।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि श्री आशीष कुमार रावत, सहायक परियोजना अभियन्ता, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी